राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 30/11 GCMS NO 2011/00035

1. रामखिलाडी उर्फ खिल्लो पुत्र कन्हैया जाति माली निवासी राठौली
2. विशनलाल पुत्र मूला जाति माली निवासी राठौली
3. मु0सावंती पुत्री मूला स्त्री कडोडी जाति माली निवासी बाढ(निसुरीयानकापुरा)
4. मु0मिश्री पुत्री मूला स्त्री रामसहाय जाति माली निवासी बदलेटा तहसील टोडाभीम
5. मु0मुक्ति पुत्री मूला स्त्री सहीराम जाति माली निवासी नौगांव चौकी तहसील गंगापुर सिटी
6. मु0विशन कौर पुत्री मूला स्त्री बृजमोहन जाति माली निवासी बरेठीदेडा तहसील करौली
7. सोहनलाल पुत्र मनोहरी जाति माली निवासी राठौली
8. कलुआ पुत्री मनोहरी जाति माली निवासी रीठौली
9. रूपसिह पुत्र मनोहरी जाति माली निवासी रीठौली
10. मु0माया पुत्री मनोहरी स्त्री हरी जाति माली निवासी ससेडी हाल शिकारगंज करौली(हजफ)
11. मु0सोमोती पुत्री मनोहरी स्त्री रघुवीर जाति माली निवासी निसूरा
12. मु0गल्ला पुत्री मनोहरी बेवा हरी जाति माली निवासी पावटा हालवासी रीठौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र करकोली जाति जाटव निवासी रूधोड व हालवासी बझेडा तहसील हिण्डौन सिटी (मृतक)(हजफ)
2. मु0 किस्तुरी स्त्री मंगल जाति जाटव निवासी रूधोउ हालवासी फुलवाडा वावडीकापुरा (मृतक)(हजफ)
3. मु0सोमोती पुत्री मंगल जाति जाटव स्त्री घीस्या निवासी मोसिलपुर हालवासी फलवाडा(हजफ)
4. मु0कमलेश पुत्री मंगल स्त्री लालचंद जाति जाटव निवासी फुलवाडा (हजफ)
5. मु0हरपति पुत्री मंगल स्त्री शिवचरण जाति जाटव निवासी मौसलपुर जाटवानकापुरा तहसील टोडाभीम
6. स्टेट आफ राजस्थान तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 114/03 निर्णय व डिकी दिनांक 23.2.11 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री नेमीचंद गर्ग

अभिभाषक रेस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 24.03.2025

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 23.2.11 न्यायालय उप जिला कलेक्टर [illegible] है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि [illegible] न्यायालय में वादीगण/अपीलांट की और से दावा बाबत इस्तकरारहक, [illegible] का पेश किया कि आराजी ख0न0 33 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा [illegible] ग्राम [illegible] तहसील हिण्डौन मे [illegible] है। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:49:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

चकबंदी मे नये ख0न0 68 रकबा 12 ऐयर, 69 रकबा 2 ऐयर, 70 रकबा 20 ऐयर, 71 रकबा 14 ऐयर, 72 रकबा 13 ऐयर, 73 रकबा 11 ऐयर कायम किये है। उक्त भूमि मृतक करकोली मे नाम रही है। किन्तु मृतक करकोली ग्राम रूदोर का रहने वाला है उसने कभी इस जमीन को काश्त नही किया है हमेशा से मृतक कन्हैया व मूला ही भेज पर सिकमी जोता के रूप मे काश्त करते रहे है। प्रतिवादीगण इस भूमि को जानते तक नही है। वादीगण के बाप मृतक मूला व कन्हैया तथा मनोहरी सम्वत 2008 से पहले अर्थात राजस्थान टीनेन्सी एक्ट फोर्स मे आया उस दिन तथा उसके बाद लगातार बिना किसी बाधा व रूकावट के शांतिपूर्वक उक्त आराजीयात को बतौर शिकमी काश्त करते रहे है। कभी भेज खातेदार को तो कभी राज्य सरकार को जमा कराते रहे है। उक्त भूमि पर वादीगण का आज भी कब्जा है। वादीगण धारा 19 के तहत खातेदार काश्तकार कानूनन है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2019 व 2030 से 2033 वादीगण के नाम दर्ज है तथा जमाबंदी सम्वत 2013 से 2020 मे शिकमी का इन्द्राज है। करकोली की मृत्यु के बाद प्रतिवादी न0 1 रामकिशन व मृतक मंगल के नाम खाता संख्या 2032 के आस पास खुल गया तथा मृतक मंगल के मरने के बाद सम्वत 2040 के आसपास प्रतिवादी न0 1 के नाम खाता खुल गया। फिर चकबंदी मे गलत रूप से किस्तुरी के नाम 1/2 मे तथा रामकिशन के 1/2 मे खातेदारी गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दी गई। वादी इस भूमि पर स्वतः ही कानूनन विवादग्रस्त आराजी का खातेदार हो चुका है। प्रतिवादी न0 2 ने अपने नाम गलत रूप से खातेदारी कराके वादीगण से पैसा ऐठने के लिए थाना हिण्डौन मे एफ आई आर गलत व झूठा दर्ज करवा दिया गया। जमीन कभी विवादग्रस्त नही रही है। प्रतिवादी न0 2 ना तो रीठौली ना ही रूदौर मे रहती है । वादीगण ने दिनांक 24.7.03 को प्रतिवादी न0 1 व 2 से खातेदारी वादी के नाम दर्ज कराने की कहने पर उनके द्वारा इंकार कर दिया गया झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई। इस कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी डिक्री किया जावे कि उक्त आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे भूमि को रहन बेचान नही करे। वादीगण को काश्त करने से रोका नही जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने पर बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:49:49 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे [illegible] को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ [illegible] मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड [illegible] की साक्ष्य का पूर्व रूप से विश्लेषण नही कर निर्णय पारित किया है। सम्वत 2008 अर्थात रा[illegible]थान टीनेन्सी एक्ट के फोर्स मे आने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पहले से आज तक विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा है। जिसके बाबत गिरदावरी आदि अपीलांट के वारिसान के नाम हुई थी और आज तक अपीलांट के वारिसान व अपीलांट काबिज है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज कर कानूनी भूल की है। विवादित आराजीयात का गलत तरीके से खाता खोला गया है। रेस्पो0 की और से कोई जबाब देही भी पेश नही हुई। जबकि अपीलांट की और सें स्वतंत्र गवाह भी पेश हुए है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के फोर्स मे आने से पहले से अपीलांट का कब्जा होने से अपीलांट खातेदारी कराने के अधिकारी है। फिर भी अदालत मातहत ने दावा खारिज गलत रूप से किया है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात की खातेदारी नकल जमाबंदी सम्वत 2013 से 2015 मे मृतक ककरोली पुत्र लसना जाति चमार सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श 1 से स्पष्ट है। इसी प्रकार सम्वत 2037 से 40 प्रदर्श 3 मे मंगल ,रामकिशन पिसरान ककरोली जाति चमार के नाम दर्ज है। उक्त खातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। जबकि वादीगण/अपीलांट जाति से माली है । अपीलांट के कथन अनुसार विवादित आराजीयात पर कब्जा लम्बे समय से बताते है और खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। जबकि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। विवादित आराजीयात अनुसूचित जाति की आराजीयात है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभाव मे आने पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की भूमियो को सामान्य जाति के लोगो के स्थानान्तरण/ट्रासंफर/कब्जे आदि पर धारा 42 के तहत प्रतिबंधित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के मु0नं0 114/03 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.2.11 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:49:49 IST
Reason: SelfAttested